फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरी गेट

दिनांक :- 28.11.2023

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 285/23 धारा 379/411 भादवि से संबंधित 02 नफर अभियुक्ता को चोरी के माल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 285/23 धारा 379/411 भादवि0 से संबंधित 02 नफर अभियुक्ता 01. पूजा पत्नी श्रवण नि0 ग्राम मोहलिया थाना शाहबाद जनपद हरदोई 02. कान्ति पत्नी स्व0 राम चन्द्र नि0 मोहलिया थाना शाहबाद जनपद हरदोई को चोरी के माल सहित किया गया गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:-

दिनांक 27.11.23 को वादी श्री सचिन कटियार पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश कटियार निवासी बढ़पुर बैरिस्टर वाली गली थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ की पत्नी प्रीति कटियार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गयी थी स्नान के दौरान अज्ञात चोर द्वारा वादी की पत्नी का पर्स व मोबाइल चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 285/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 28.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना कादरी गेट पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्ता 01. पूजा पत्नी श्रवण नि0 ग्राम मोहलिया थाना शाहबाद जनपद हरदोई 02. कान्ति पत्नी स्व0 राम चन्द्र नि0 मोहलिया थाना शाहबाद जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में भादवि 411 की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम पता:-

1. पूजा पत्नी श्रवण नि0 ग्राम मोहलिया थाना शाहबाद जनपद हरदोई
2. कान्ति पत्नी स्व0 राम चन्द्र नि0 मोहलिया थाना शाहबाद जनपद हरदोई

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तोओं ने बताया की हम गंगा स्नान पर आए श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन व कीमती सामान चुरा लेते है। कल दिनांक 27.11.2023 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काफी श्रद्धालु गंगा स्नान हेतु पांचाल घाट पर आये थे जहां पर गंगा स्नान करने आयी महिला के कपडो से पर्स और मोबाइल फोन हमने चोरी कर लिया था। आज हम इस चोरी किये हुए पर्स को बेचने की फिराक मे यहा खडे थे तभी आपने हमे पकड लिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद लेडिज पर्स
2. 01 अदद ई-श्रम कार्ड पीडिता
3. 02 नेल पालिस
4. 06 बिछवे सफेद व पीली धातू
5. 01 लेडीज चेन पीली धातू
6. 01 कलेचर
7. 01 सफेद धातू की कछुआ वाली अंगुठी

8. 01 नीले रंग का कन्घा व

9. 02 चाबी

10. 01 विक्स की छोटी डिब्बी

11. 01 भूरे रंग का छोटा पर्स

12. कुल 2411/- रुपये

अभियुक्ता पूजा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1- मु0अ0सं0 285/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्ता कान्ति उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1- मु0अ0सं0 285/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली थाना कादरी गेट टीमः-

1. उ0नि0 अमित कुमार शर्मा
2. म0उ0नि0 नीतू यादव
3. हे0का0 संतोष कुमार
4. म0का0 निशा तोमर
5. का0 शैलेष मिश्रा

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 28.11.2023

मु0अ0सं0 469/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर फिरोज उर्फ अन्ना द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी उसके परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 1,00,43,600/- रू0 (एक करोड़ तैतालिस हजार छः सौ रुपये) को फतेहगढ़ पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दिनाकं 28.11.2023 को कुर्क किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 469/17 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज उर्फ अन्ना व संजय उर्फ सलमान पुत्रगण नौशाद निवासीगण ग्राम नगला दाउद सरैया जनपद फतेहगढ़, द्वारा अवैध रूप से अर्जित उनके परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 1,00,43,600/- रू0 (एक करोड़ तैतालिस हजार छः सौ रुपये) श्रीमान **जिला मजिस्ट्रेट** फर्रूखाबाद द्वारा वाद सं0-26/2023 में दिनांक 25.11.2023 को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया था, के अनुपालन में फतेहगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 28.11.2023 को कुर्क किया।

सम्पत्ति का विवरण:-

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	नाम पंजीकृत स्वामी	मूल्यांकन सरकारी मूल्य	मूल्यांकन PWD	मूल्यांकन बाजार मूल्य
1.	ग्राम नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज में अपनी विरासत/पैतृक जमीन पर अपराध से अर्जित धन से बनाया गया पक्का मकान क्षेत्रफल – 190 Sq.m	अभियुक्त फिरोज उर्फ अन्ना उपरोक्त		मकान की बिल्डिंग की कीमत – 2009000.00	मार्केट वैल्यू – 2184000.00
2.	आवासीय प्लॉट ग्राम शेखपुर रुस्तमपुर खसरा नं0 932 क्षेत्रफल – 74.4 Sq.m	अभियुक्त संजय उर्फ सलमान उपरोक्त	दुकान की जमीन की कीमत – 595200.00	दुकान की बिल्डिंग की कीमत – 1144000.00	मार्केट वैल्यू – 4017000.00
3.	ग्राम नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज में अपनी विरासत/पैतृक जमीन पर अपराध से अर्जित धन से बनाया गया जिम सेन्टर क्षेत्रफल – 264.04 Sq.m	अभियुक्त संजय उर्फ सलमान उपरोक्त		जिम सेन्टर की बिल्डिंग की कीमत – 799000.00	मार्केट वैल्यू – 1080600.00
4.	कृषि भूमि ग्राम भोजपुर गाटा सं0 116, 117 व 122 क्षेत्रफल – 0.1620 हे0	नाजिम उर्फ फिरदौस पुत्र नौशाद अली निवासी नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़	कृषि भूमि की कीमत – 415000.00		मार्केट वैल्यू – 1377000.00

5.	कृषि भूमि ग्राम शेखपुर रुस्तमपुर गाटा सं0 621 क्षेत्रफल – 0.1385 हे0	नाजिम उर्फ फिरदौस पुत्र नौशाद अली निवासी नगला दाउद सरैया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़	कृषि भूमि की कीमत – 526300		मार्केट वैल्यू – 1385000.00
कुल योग			**1536500.00 /-**	**3952000.00 /-**	**10043600.00 /-**
कुल कीमत	**सर्किल रेट पर मूल्यांकन के आधार पर ---- 5488500.00 /- (चौवन लाख अठासी हजार पाँच सौ रुपये)**				
	वर्तमान रेट पर मूल्यांकन के आधार पर ---- 10043600.00 /- (एक करोड़ तैतालिस हजार छः सौ रुपये)				

उपरोक्त प्रकरण में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त संजय उर्फ सलमान द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय किये गये वाहनों को जिनकी कीमत 8,65,697 /- (आठ लाख पैसठ हजार छः सौ सत्तान्वे रुपये) है, को दिनांक 05.05.2023 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्सः

थाना अमृतपुर से लगा पुलिस बलः-

1. उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष अमृतपुर मय हमराह पुलिस बल।

थाना कमालगंज से लगा पुलिस बलः-

1. उ0नि0 राजेश राय थानाध्यक्ष कमालगंज मय हमराह पुलिस बल।

मीडिया सेल फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अतुल पुत्र बडेलला निवासी चिलसरा थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 212/2019 वाद स0- 839/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना शमसाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 28.11.2023 को मा0न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त अतुल उपरोक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री शैलेश कुमार

पैरोकार का0 अविनाश

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice @fatehgarhpolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

थाना कमालगंज

मु0अ0सं0 469/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर फिरोज उर्फ अन्ना द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी उसके परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 1,00,43,600/- रू0 (एक करोड़ तैतालिस हजार छः सौ रुपये) को फतेहगढ़ पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दिनाकं 28.11.2023 को कुर्क किया गया।

जनपद फतेहगढ़ थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 469/17 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज उर्फ अन्ना व संजय उर्फ सलमान पुत्रगण नौशाद निवासीगण ग्राम नगला दाउद सरैया जनपद फतेहगढ़, द्वारा अवैध रूप से अर्जित उनके परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 1,00,43,600/- रू0 (एक करोड़ तैतालिस हजार छः सौ रुपये) श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा वाद सं0-26/2023 में दिनांक 25.11.2023 को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया था, के अनुपालन में फतेहगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 28.11.2023 को कुर्क किया।

उपरोक्त प्रकरण में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त संजय उर्फ सलमान द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय किये गये वाहनों को जिनकी कीमत 8,65,697 /- (आठ लाख पैसठ हजार छः सौ सत्तान्वे रुपये) है, को दिनांक 05.05.2023 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. बूली पुत्र श्यामलाल सिंह 2. विजय सिंह पुत्र जगत सिंह 3. शुम्भारी पुत्र जगत सिंह निवासीगण ग्राम नौली थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 303/2003 वाद सं-204/04 धारा- 302/34 भादवि थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 28.11.2023 को मा0न्यायालय डी0जे0 कोर्ट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

डीजीसी श्री स्वदेश प्रताप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 हरिचरन सिंह

पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र कुमार

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice @fatehgarhpolice

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त 1. बूली पुत्र श्यामलाल सिंह निवासी ग्राम नौली थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 343/2003 वाद सं-205/04 धारा- 25/27 A ACT थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 28.11.2023 को मा0न्यायालय डी0जे0 कोर्ट जनपद फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक उपरोक्त 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 04 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

डीजीसी श्री स्वदेश प्रताप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 हरिचरन सिंह

पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र कुमार

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice @fatehgarhpolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विजय सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम नौली थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 344/2003 वाद सं-206/04 धारा- 25/27 A ACT थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 28.11.2023 को मा0न्यायालय डी0जे0 कोर्ट जनपद फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक उपरोक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 04 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

डीजीसी श्री स्वदेश प्रताप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 हरिचरन सिंह

पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र कुमार

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice @fatehgarhpolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शुम्भारी पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम नौली थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 345/2003 वाद सं-207/04 धारा- 25/27 A ACT थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 28.11.2023 को मा0न्यायालय डी0जे0 कोर्ट जनपद फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक उपरोक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 04 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

डीजीसी श्री स्वदेश प्रताप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 हरिचरन सिंह

पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र कुमार

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice @fatehgarhpolice

vivo X60 · ZEISS
Nov 28, 2023, 18:38